राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 13 ( )अनु./कोचिंग/सान्याअवि/2021/ 62 **जयपुर, दिनांकः 30-06-21**

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालन की प्रक्रिया

वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक FD(Exp-2)05/TAD(B.A.107)2021-22 दिनांक 05.06.2021 के द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या- 7 ''विभिन्न professional courses में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए SC, ST, OBC, MBC, EWS व Minority के छात्र-छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की मै घोषणा करता हूँ। इसमें कक्षा 11 एवं 12 में academic courses हेतु तथा कॉलेज के अंतिम दो वर्षो में रोजगार हेतु professional coaching संस्थानों के माध्यम से तैयारी करायी जायेगी। इससे क्रमशः 5-5 हजार छात्र-छात्रायें प्रतिवर्ष लाभांवित होगे। इस पर 25 करोड़ रूपये का व्यय होगा'' के क्रियान्वयन हेतु ''मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना'' का परिपत्र जारी किया गया है। उक्त योजना के संचालन की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1. उक्त योजना का संचालन ऑनलाईन पोर्टल तैयार कर पेपरलैस प्रक्रिया से कोचिंग संस्थानों/अभ्यार्थियों के पंजीयन/चयन की प्रक्रिया की जावेगीः-
   A. इच्छुक कोचिंग संस्थानों के प्रस्ताव विज्ञप्ति जारी कर परीक्षावार उक्त पोर्टल पर ही समस्त दस्तावेजों के साथ आमंत्रित किये जायेगें।
   B. ऑनलाईन प्राप्त कोचिंग संस्थानों के प्रस्तावों का जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन कर निदेशालय को ऑनलाईन निरीक्षण रिपोर्ट मय अभिशंषा/आपत्ति के अग्रेषित किया जावेगा।
   C. निदेशालय स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा प्रेषित कोचिंग संस्थानों के प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कर आयुक्त/निदेशक के अनुमोदन उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल पर सूचीबद्ध कर दिया जावेगा।

D. सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर संस्थान को हटाये जाने का अन्तिम निर्णय आयुक्त/निदेशक का होगा।

E. अनुसूचित जाति, अति-पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, अल्पसंख्यक वर्ग हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा वर्गवार, परीक्षावार, जिलेवार, महिला/पुरूषवार (50 प्रतिशत के अनुसार) लक्ष्य निर्धारित किया जावेगा।

2. **कोचिंग संस्थान के सम्बंध मे की जाने वाली प्रक्रिया**

A. विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने पर इच्छुक कोचिंग संस्थानों द्वारा कोचिंग संचालन के प्रस्ताव एसएसओआडी के माध्यम ऑनलाईन चाहे विवरण के अनुसार किया जाना होगा।

B. ऑनलाईन प्राप्त कोचिंग संस्थानों के प्रस्तावों का जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन कर प्रस्ताव को आक्षेपित/निदेशालय को ऑनलाईन निरीक्षण रिपोर्ट मय अभिशंषा/आपत्ति के अग्रेषित किया जावेगा।

C. कोचिंग संस्थानों को आवंटित अभ्यर्थियों की दैनिक उपस्थिति हेतु आधार बैस्ड उपस्थिति हेतु डिवाईस स्थापित करनी होगी।

3. **कोचिंग संस्थान की पात्रता :-**

A. कोचिंग संस्थान को संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860/कंपनी अधिनियम 2013 या राज्य/संघ क्षेत्र के किसी अन्य संगत अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत निकाय या पंजीकृत संचालित संगठ्न होना चाहिए।

B. विभाग द्वारा कोचिंग संस्थाओं के आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना के जारी होने की तारीख को संस्था कम से कम 3 वर्ष पूर्व से पंजीकृत होनी चाहिए।

C. कोचिंग संस्थान इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करते समय कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत होनी चाहिए।

D. संस्था के पास आवेदित पाठ्यक्रमों में कोचिंग प्रदान करने के लिए सभी आवश्यकताएँ पूरी करने हेतु उपयुक्त अवसंरचना होनी चाहिए।

E. यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होने पिछले 5 वर्षो मे कम से कम 3 वर्षो में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

F. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होने पिछले 3 वर्षो में कम से कम 2 वर्षो में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

G. इंजीनियरिंग/मेडिकल परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होनें पिछले 8 वर्षो में कम से कम 5 वर्षो में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

H. क्लैट परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होने पिछले 8 वर्षो में कम से कम 5 वर्षो में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

4. **कोचिंग संस्थान द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज :-**

A. कोचिंग संस्थान का पंजीकरण प्रमाण पत्र।

B. गत तीन वर्षो की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन।

C. गत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट/लेखें।

D. स्टाफ सूची मय योग्यता।

E. कोचिंग संस्थान के भवन का नक्शा मय हॉस्टल, फर्नीचर आदि का विवरण।

F. कोचिंग संस्थान के बैक खाते का विवरण मय आईएफसीकोड।

G. गत तीन वर्षो के लाभान्वितों की सूची।

H. गत पॉच वर्षो में अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का विवरण।

I. कोचिंग संस्थान द्वारा इस आशय का सहमति पत्र दिया जावेगा कि उनकी कोंचिग संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचीनुसार प्रवेश दिया जावेगा, अभ्यर्थी से किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि प्राप्त नहीं की जावेगीं एवं कोचिंग संस्थान को कोचिंग हेतु निर्धारित नीति अनुसार देय राशि की प्रथम/द्वितीय किश्त का 60:40 के अनुसार ही भुगतान प्राप्त हेतु सहमत है।

5. **अभ्यर्थी की पात्रता :-**

A. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।

B. अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति-पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य हो।

C. अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) रूपये 8.00 लाख (रूपये आठ लाख रूपये) से कम हो या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों। अभ्यर्थी के माता-पिता/ अभिभावक राजकीय/ बोर्ड/ निगम/निजी सेवा में सेवारत /कार्यरत वेतनभोगी है तो विभागाध्यक्ष/ कार्यालयध्यक्ष/ नियोक्ता द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।

D. अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया हो।

E. योजनान्तर्गत क्षैक्षणिक योग्यता परीक्षावार वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.06.2021 के अनुसार होगी।

6. **अभ्यर्थी के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया :-**

A. विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र/एसएसओआईडी के माध्यम उक्त पोर्टल जनाधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जावेगा।

B. अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग हेतु प्रस्तावित परीक्षा का नाम एवं सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान मे से किसी एक कोचिंग संस्थान का चयन किया

जायेगा। परीक्षा चयन हेतु जिले में सम्बधित वर्ग में लक्ष्य होने पर ऑनलाईन आवेदन करने दिया जावेगा।

C. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अपलोड/वैब सर्विस से **प्राप्त** किये जावेगें।

7. **अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज :-**

A. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।

B. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।

C. स्वघोषित आय घोषणा पत्र प्रति।

D. अभ्यर्थी के जनाधार कार्ड, आधार कार्ड की प्रति।

E. अभ्यर्थी को अपने स्वयं के बैक का नाम, खाता नम्बर, बैक आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम ऑन लाईन आवेदन पत्र में करना होगा।

F. कक्षा 10 व 12वीं की अंकतालिका के साथ योजनान्तर्गत शैक्षणिक योग्यता सम्बधी दस्तावेज परीक्षावार वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.06.2021 के अनुसार अपलोड किया जाना।

8. **अभ्यर्थी के आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया :-**

A. अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र/एसएसओआईडी से ऑनलाईन किये गये आवेदन उसकी श्रेणी के आधार पर सम्बधित विभागीय जिलाधिकारी को अग्रेषित हो जावेगा।

B. सम्बधित विभागीय जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन की जॉच कर 15 दिवस में अनुमोदित/निरस्त कर दिया जावेगा।

C. अनुमोदित आवेदन पत्रों की निर्धारित तिथि को सम्बधित निदेशालय द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था से जिलेवार, वर्गवार, परीक्षावार, निर्धारित लक्ष्य अनुसार मैरिट जारी कर सूची सम्बधित कोचिंग संस्थान को स्वतः प्रेषित हो जावेगी।

D. चयनित अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कोचिंग संस्थान में निर्धारित अवधि में उपस्थिति दी जावेगी जिसकी ऑनलाईन उपस्थिति रिपोर्ट कोचिंग संस्थान द्वारा सम्बधित निदेशालय को प्रेषित की जावेगी।

E. अभ्यर्थी द्वारा उक्त योजना में एक बार चयनित होने पर पुनः आवेदन नही करने दिया जावेगा।

F. कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग नही किये जाने की स्थिति में उचित कारणों के आधार पर आयुक्त/निदेशक द्वारा पुनः अनुमत किया जा सकेगा।

9. **देय राशि** :-उक्त योजनान्तर्गत देय राशि का परीक्षावार विवरण वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा ''मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना'' के सम्बंध में जारी दिशा-निर्देशों के परिपत्र दिनांक 05.06.21 के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

10. **भुगतान प्रक्रिया** :- कोचिंग हेतु दो किश्तों में भुगतान किया जावेगा। जिसकी प्रथम किश्त (60 प्रतिशत) आवंटित कोचिंग संस्थान में निर्धारित अवधि में आधार बैस्ड उपस्थिति रिपोर्ट के आधार पर एवं दूसरी किश्त (40 प्रतिशत) कोचिंग पूर्ण होने के पश्चात कोचिंग संस्थान की आधार बैस्ड उपस्थिति रिपोर्ट के आधार पर सम्बधित विभाग द्वारा सम्बधित मद से नियमानुसार राशि का भुगतान सम्बधित कोचिंग संस्थान को किया जावेगा, अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में कोचिंग हेतु अन्य शहर से आकर रहने पर अभ्यर्थी को आवास/भोजन इत्यादि हेतु नियमानुसार राशि का भुगतान उक्तनुसार दो किश्तों में किया जावेगा। विभागीय छात्रावास में आवास करने वाले अभ्यर्थी को उक्त राशि देय नहीं होगी।

11. **प्रक्रिया का विनिर्णय** : इस प्रक्रिया की व्याख्या आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी, किसी भी विवाद में सम्बधित विभाग के आयुक्त/निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

संलग्नः वित्त विभाग द्वारा जारी
परिपत्र दिनांक : 05.06.21

30/6/2021

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांकःएफ13( )मु./अनुप्रति कोचिंग./सान्याअवि/21/ 63-101 **जयपुर, दिनांक : 30-6-21**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, 1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर।
9. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
11. जिला कलक्टर ....
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ....
13. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. सयुंक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त योजना को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाये जाने के सम्बंध में सम्बधित निर्देशित करावें
15. सयुंक्त निदेशक (योजना)/वित्तीय सलाहकार/ उपनिदेशक (देवनारायण)/सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार)/ सहायक निदेशक (शिक्षा), मुख्यावास।
16. आदेश पत्रावली।

30/06/2021

(अनुपम कायल)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

राजस्थान सरकार
वित्त (व्यय–2) विभाग

2427
7-6-21

क्रमांक: FD([illegible]-2)/05/TAD(B.A.107)/2021-22 जयपुर,दिनांक 05.06.2021

परिपत्र

विषयः– विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने बाबत "मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना" के दिशा–निर्देश एवं प्रकिया।

विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्प संख्यक मामलात विभाग, के लिए **मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना** वर्ष 2021–22 से प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में सामान्य दिशा–निर्देश एवं प्रकिया निम्नानुसार है :–

1. इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, Minority एवं EWS वर्ग के वे छात्र–छात्राए पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय रूपए 8 लाख प्रति वर्ष से कम हो या जिनके माता–पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल–11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों।
2. योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु व्यय की जा सकने वाली राशि, कोचिंग की अवधि एवं छात्र–छात्राओं की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होगी:–

क्र.	परीक्षा	राशि	अवधि	न्यूनतम योग्यता	पात्र छात्र–छात्राओं की कुल संख्या
1.	यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से– **75 हजार रूपये**	1 वर्ष	• स्नातक /स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एवं • कक्षा 12 में 70 % अंक	200 SC - 35 ST - 25 OBC - 45 MBC 10 EWS - 20 OTHERS - 65
		अन्द संस्थानों के माध्यम से – **50 हजार रूपये**	1 वर्ष	• स्नातक /स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एवं • कक्षा 12 में 60 % अंक	
2.	आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से – 50 हजार रूपये	1 वर्ष	• स्नातक /स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एवं • कक्षा 12 में 65 % अंक	500 SC - 80 ST - 60 OBC - 105 MBC - 25 EWS - 50 OTHERS - 180
		अन्य संस्थानों के माध्यम से – **40 हजार रूपये**	1 वर्ष	• स्नातक /स्नातक के अंतिम दो वर्षो मे अध्ययनरत एव • कक्षा 12 मे 55% अंक	

DSJE 7.6.2021
ADSH 7-6-21
1520/DSJE 8.6.21
ADE 9/06/2021
486/ADSH 09-06-21

क्र.	परीक्षा	राशि	अवधि	न्यूनतम योग्यता	पात्र छात्र–छात्राओं की कुल संख्या
3.	आरपीएससी द्वारा आयोजित सबइस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मेट्रिक्स में पे लेवल–10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं	20 हजार रूपये	6 माह	• स्नातक /स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एव • कक्षा 12 में 50 % अंक	800 SC - 130 ST - 100 OBC - 170 MBC - 40 EWS - 80 OTHERS - 280
4.	रीट परीक्षा	15 हजार रूपये	4 माह	• बी.एड/एसटीसी, एवं • कक्षा 12 में 50% अंक	1500 SC - 240 ST - 180 OBC - 315 MBC - 075 EWS - 150 OTHERS - 540
5.	आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसेः–पटवारी, कनिष्ठ सहायक हेतु, पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं	10 हजार रूपये	4 माह	• स्नातक में अध्ययनरत /12वीं तथा RSCIT अथवा कम्प्यूटर कोर्स या ओ लेवल/ उच्च स्तरीय कम्प्यूटर सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, एवं • कक्षा 12 में 50 % अंक	1200 SC - 195 ST - 145 OBC - 255 MBC - 60 EWS - 120 OTHERS - 425
6.	कांस्टेबल परीक्षा	10 हजार रूपये	4 माह	कक्षा 10 में 50 % अंक	800 SC - 130 ST - 100 OBC - 170 MBC - 40 EWS - 80 OTHERS - 280
7.	इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से– 70 हजार रूपये प्रति वर्ष	2 वर्ष (कक्षा 11 एवं 12 में)	कक्षा 10 में 70 % अंक	4000 SC - 640 ST - 480 OBC - 840 MBC - 200 EWS - 400 OTHERS - 1440
		अन्य संस्थानों के माध्यम से – 55 हजार रूपये प्रति वर्ष	2 वर्ष (कक्षा 11 एवं 12 में)	कक्षा 10 में 60 % अंक	
8.	क्लैट परीक्षा	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से – 40 हजार रूपये,	1 वर्ष	कक्षा 10 में 60 % अंक	1000 SC - 160 ST - 120 OBC - 210 MBC - 50 EWS - 100 OTHERS - 360
		अन्य संस्थानो के माध्यम से – 25 हजार रूपये	1 वर्ष	कक्षा 10 में 50 % अंक	

नोट :– परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका मे वर्णित न्यूनतम योग्यता (12 वी अथवा 10 वी) में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10 वीं अथवा 12 वी की बोर्ड परीक्षा में CBSE बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा जबकि RBSE बोर्ड के 10वी/12 वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा।

3. प्रतिष्ठित संस्थानों से कोंचिग प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को आवास/भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40000 रूपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जाएगी बशर्ते उन्हे इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यह 40000 रूपये की अतिरिक्त राशि का व्यय सम्बन्धित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिग के लिए आवास/भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही हो।

4. प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य निम्नानुसार होगा–

(अ) यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

(ब) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्षो में से कम से कम 2 वर्षो में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

(स) इंजीनियरिंग/मेडिकल परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन ने अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

(द) क्लैट परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन ने अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

5. ST वर्ग के छात्र–छात्राओ हेतु इस योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा, SC, OBC, MBC एवं EWS वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा Minority के छात्र–छात्राओं के लिए योजना का संचालन अल्प संख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा।

6. इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियो से समय–समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रो की मेरिट निर्धारण कर कोंचिग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा कराई जायेगी। इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से छात्र–छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय यह प्रयास किए जाने होगे जिससे कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी छात्राएं हो। इच्छुक एवं पात्र छात्राओं के आवेदन कम आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार निर्धारित स्थानों पर छात्रों को कोचिंग करायी जा सकेगी।

7. विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र–छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके तथा इस पूरे प्रयास के अच्छे परिणाम आ सके।

8. वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एंव तकनीकी (NEET/IIT) प्रवेश परीक्षा पूर्व कोंचिंग योजना एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित 'अनुप्रति' योजना के स्थान पर नई 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' संचालित की जाएगी।

9. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्प संख्यक मामलात विभाग द्वारा पूर्व में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु चलाई जा रही योजनाओं के तहत नई कोचिंग नहीं प्रारम्भ की जाएगी तथा केवल उन छात्र–छात्राओं की कोचिंग इन पुरानी योजनाओं के तहत करायी जा सकेगी जिनमें या तो कोचिंग प्रारम्भ हो चुकी है अथवा कोचिंग प्रारम्भ करने के लिए कार्यादेश दिए जा चुके हो।

10. इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। आवेदन प्रकिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन SINGLE PORTAL पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएँगे। प्रतिष्ठित संस्थानो/अन्य संस्थानो का एमपैनलमेन्ट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी EOI के माध्यम से किया जाएगा। इसके समानान्तर अन्य कार्यकारी विभाग भी आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानो/अन्य संस्थानो के एमपैनलमेन्ट के लिए स्वतंत्र होगे।

(नरेश कुमार ठकराल)
विशिष्ट शासन सचिव
वित्त (व्यय) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, निजी सचिव, समस्त अति.मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/ सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

05/06/21
(अजय असवाल)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त(व्यय–2)विभाग